आदेश

दिनांक: 14 सितंबर 2026

विषय: आदेश संख्या 23-1/2012-बी एंड सीएस दिनांक 5 अगस्त, 2013 का प्रत्याहरण, जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 12 के अधीन प्रसारकों को टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था

सं. आरजी-7/1/(1)/2023-बी एंड सीएस (1 और 3) – जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है) ने अपने आदेश संख्या 23-1/2012-बी एंड सीएस दिनांक 5 अगस्त 2013 द्वारा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 12 द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसारकों को निदेश दिया था कि वे अपने टेलीविजन चैनलों में प्रसारित विज्ञापनों की अवधि साप्ताहिक आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उक्त आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें;

2. और जबकि उक्त आदेश प्रसारकों द्वारा अपने टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की घड़ी के एक घंटे में बारह मिनट की अधिकतम सीमा के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजन से जारी किया गया था, जैसा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा अधिसूचित केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के अधीन उपबंधित है;

3. और जबकि भारत सरकार ने एमआईबी के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापनों की अवधि पर बारह मिनट की उक्त अधिकतम सीमा हटा दी है, केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2026 द्वारा, जो 21 अगस्त 2026 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित हुए और जिनके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 का उप-नियम (11) विलोपित किया गया, ताकि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार सुगमता सुनिश्चित की जा सके;

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, टावर-एफ (चतुर्थ से सातवाँ तल), नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029
World Trade Center, Tower-F, (4th to 7th Floor), Nauroji Nagar, New Delhi-110029
Tel. : 011-26769600 / www.trai.gov.in

4. और जबकि भादूविप्रा ने सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) विनियम, 2012 और उनके अधीन जारी सभी आदेशों और निर्देशों को, सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 (2026 का 4) दिनांक 10 सितंबर 2026 द्वारा निरस्त कर दिया है;

5. और जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिकतम सीमा हटाए जाने तथा भादूविप्रा के सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026 के परिणामस्वरूप, दिनांक 5 अगस्त 2013 के आदेश में प्रसारकों द्वारा विहित टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता अब नहीं है;

6. अतः अब, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 12 द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद्द्वारा अपने आदेश संख्या 23-1/2012-बी एंड सीएस दिनांक 5 अगस्त 2013 को प्रत्याहृत करता है।

शिवानी

(शिवानी शर्मा)

संयुक्त सलाहकार (बी एंड सीएस)

सेवा में,

सभी प्रसारक